न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 42/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/77
दायर दिनांक :– 03.03.2025 निर्णय दिनांक :– 22.05.2026

01. श्रीराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
2. फरसाराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
3. बुधराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
4. भगवानाराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
5. भवरूराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सुभाष विश्नोई अधि.प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 54/57 रकबा 8.0937 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी का संयुक्त रूप से कब्जा है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर जाली लगागर तारबंदी की हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज है व अपने हिस्से पर काश्त करते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि सुखराम से संयुक्त रूप से खरीद की थी उसके बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड में अमलदाराद किया गया तथा सुखराम ने उक्त भूमि पर 1969 से काबिज काश्त करते आ रहे है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर उपजाऊ बनाकर तारबंदी की गई थी। उक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि का विभाजन व तरमीम के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने विभाजन व तरमीम नहीं करवाने का कहा गया। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाकर तद्नुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि से प्रार्थी के कब्जा काश्त से बेदखल कर उक्त वादग्रस्त भूमि से तारबंदी हटाने पर उतारू है जिसका कारण प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादग्रस्त भूमि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप खसरा नम्बर 54/57 रकबा 8.0937 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम सहखातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदारी के चलते प्रत्येक खातेदार का इंच इंच पर कब्जा काश्त है। अगर वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा बेचान, हस्तान्तरण, निर्माण आदि कर देने वादग्रस्त भूमि की प्रकृति व कब्जा काश्त में परिवर्तन हो सकता है जिससे वाद बाहुल्यता बढ सकती है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

वादग्रस्त भूमि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप खसरा नम्बर 54/57 रकबा 8.0937 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम सहखातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदारी के चलते प्रत्येक खातेदार का इंच इंच पर कब्जा काश्त है। जहां किसी प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न का निश्चय करना शेष हो तो वहां प्रथम दृष्टया मामला विवादित संपति की यथास्थिति बनाए रखे जाने में ही होता है। यदि दौराने वाद विवादित संपति की यथास्थिति नहीं रखी गई तो मूलवाद के निर्णय तक संपति में हस्तान्तरण व अंतरण हो सकता है उसकी स्थिति परिवर्तित हो सकती है अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों विन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि अस्थाई व्यादेश इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप खसरा नम्बर 54/57 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण—I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)